

2

forrh; i xU/ku , oI c tVh; fu; f. k

भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के सम्पादन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये बजट में प्राधिकृत थीं एवं संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था तथा विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.1 fofu; kx ys[ks dk | f{klr fooj . k

उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल में निर्धारित है कि नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये। विलंब से किये गये अभ्यर्पण को यदि वित्त विभाग स्वीकार नहीं करता है तो सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा।

वर्ष 2017-18 में 93 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के सापेक्ष सम्पन्न वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति | kj . kh 2.1 में प्रस्तुत की गयी है।

| kj . kh 2.1% i ko/kkuk@ ds | ki \$k | Ei Uu okLrfod 0; ; dhs | f{klr fLFkfr

₹ dj KM+ e%

	1	2	3	4	5	6	dk-5@dk-4
दत्तमत	I राजस्व	2,85,769.12	2,26,083.41	(-) 59,685.71	44,360.90	44,360.90	74
	II पूंजीगत	72,444.36	50,464.12	(-) 21,980.24	10,376.48	10,376.48	47
	III ऋण तथा अग्रिम	2,529.24	1,509.29	(-) 1,019.95	562.52	562.52	55
	; kx nUker	3,60,742.72	2,78,056.82	(-) 82,685.90	55,299.90	55,299.90	67
Hkkfj r	IV राजस्व	45,916.47	41,805.71	(-)4,110.76	2,435.98	2,435.98	59
	V पूंजीगत	16.81	11.99	(-)4.82	00	00	00
	VI लोकऋण—पुनर्भुगतान	21,969.12	15,002.10	(-)6,967.02	0.72	0.72	00
	; kx Hkkfj r	67,902.40	56,819.80	(-)11,082.60	2,436.70	2,436.70	22
	egk; kx	4,28,645.12	3,34,876.62	(-)93,768.50	57,736.60	57,736.60	62

नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 1,665.60 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 11,388.12 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र वर्ष 2017-18)

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 127 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण—पुनर्भुगतान) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 78 प्रकरणों में, ₹ 95,349.48 करोड़ की बचतों के परिणामस्वरूप कुल ₹ 93,768.50 करोड़ की बचतें हुईं जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के चार

प्रकरणों तथा पूंजीगत अनुभाग के तीन प्रकरणों में ₹ 1,580.98 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

तथ्य यह कि 38 प्रतिशत बचतों (₹ 36,031.90 करोड़) को वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया तथा अवशेष बचत ₹ 57,736.60 करोड़ (62 प्रतिशत) को वित्त विभाग को अन्य उद्देश्यों के लिये पुर्णविनियोजन हेतु उपलब्ध कराये बिना वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किया गया जो यह स्पष्ट करता है कि वित्त विभाग द्वारा अत्यंत न्यून वित्तीय नियन्त्रण रखा गया।

। १८८८% वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति का अनुश्रवण करना चाहिये जिससे निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा अभ्यर्पण के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा किये बिना एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना तत्काल अभ्यर्पण कर देना चाहिये।

2.2 foRrh; mRrjnkf; Ro rFkk ctV i xU/ku

2.2.1 vf/kd gø 0; ; kø ds fofu; ferhdj.k dh vko'; drk

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दो अनुदानों तथा दो विनियोगों के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत धनराशि से ₹ 1,337.17 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ (*if/f'k/V 2.1* %)। वर्ष 2005-06 से 2016-17 से सम्बन्धित 96 अनुदानों एवं 40 विनियोगों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य ₹ 29,648.64 करोड़ का विनियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी भी किया जाना शेष है (*if/f'k/V 2.1* %)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जो प्रावधानित करता है कि राज्य विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा किये गये विनियोजन के अतिरिक्त समेकित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जा सकेगी। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निष्फल करता है तथा लोक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय अनुशासन रखने में वित्त विभाग स्वयं असफल रहा जैसा कि वर्ष के दौरान अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन के अन्तर्गत (अनुदान संख्या 62-अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) ₹ 1,311.10 करोड़ का व्याधिक्य राज्य विधायिका के प्राधिकार के बिना किया गया। ये विफलतायें इस तथ्य से और जटिल हो जाती हैं कि इसी प्रकार की अनियमितताओं को पूर्व में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में निरंतर प्रतिवेदित किया गया परंतु वित्त विभाग एवं सम्बन्धित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

। १८५८% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्याधिक्य के सभी वर्तमान प्रकरणों को विनियमित करने हेतु राज्य विधायिका के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाय। राज्य सरकार द्वारा व्याधिक्य के कारणों की जाँच की जानी चाहिये एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये। पुनः कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि वे बजट प्रावधानों से अधिक व्यय करने की अनुमति न दें एवं भविष्य में ऐसे व्याधिक्य को पर्णतः रोका जाना चाहिये।

2.2.2 cprı

40 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 58 प्रकरणों में ₹ 92,681.47 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी, जिसका विवरण */f/f'k"V 2.2* में दर्शाया गया है।

अग्रेतर, उपर्युक्त 58 प्रकरणों में से 16 प्रकरण ऐसे थे जहां प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत थी। इन 16 प्रकरणों में से 2016-17 के दौरान भी छः प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत हुयी जिसका विवरण *| kj . kh 2.2* में दर्शाया गया है।

*| kj . kh 2.2% 2016-17 , os 2017-18 dh vof/k e₹ ₹ 1,000 dj KM+
| s vf/kd ds cpr n' kkus okys vuñku*

₹ dj KM+ e₹

Ø- a	vuñku a[k	vuñku dk uke	o"kl ds nkj ku gþl cprı	
			2016-17	2017-18
1.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)- पूर्जीगत दत्तमत	3,300.96	5,179.06
2.	37	नगर विकास विभाग- राजस्व दत्तमत	2,751.47	5,574.84
3.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग- राजस्व दत्तमत	1,106.73	2,247.92
4.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- राजस्व दत्तमत	2,414.62	17,493.77
5	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- राजस्व दत्तमत	1,704.21	5,573.74
6.		समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)- पूर्जीगत दत्तमत	2,477.98	1,637.34

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016-17 एवं 2017-18)

अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि 20 अनुदानों के अन्तर्गत 26 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों में अनवरत बचत (₹100 करोड़ और अधिक), ₹ 100.12 करोड़ एवं ₹ 17,493.77 करोड़ के मध्य थी, जिसका विवरण */f/f'k"V 2.3* में दर्शाया गया है। विभाग द्वारा क्रियान्वित हो रहे सम्बन्धित योजना में अत्यधिक बचत, कमज़ोर बजट प्रणाली या प्रदर्शन में कमी या दोनों को दर्शाता है।

/ d/rfr% वित्त विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की धनराशि उपयोग न किये जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये एवं अग्रेतर वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधानों हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।

2.2.3 vuñku' ; d@vi ; kl r vuñ j d i ko/kku

वर्ष 2017-18 में, 56 प्रकरणों में ₹ 6,098.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी, जिसका विवरण */f/f'k"V 2.4* में दर्शाया गया है।

2.2.4 vf/kd@vuñku' ; d fuf/k; kñ dk i pñfofu; kx

पुनर्विनियोग के बावजूद, 42 अनुदानों में निहित 119 उपशीर्षों में ₹ 781.80 करोड़ की बचत तथा 31 अनुदानों के 59 उपशीर्षों में ₹ 852.75 करोड़ का व्याधिक्य,

वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग को दर्शाता है (*i f'f'k"V 2.5*)।

2.2.5 vR; f/kd /kuj kf' k; kः dk vH; i l k

वर्ष 2017-18 में, 201 उपशीर्षों में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) ₹ 25,181.03 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 31,239.80 करोड़ का 81 प्रतिशत) किया गया, जिसमें 84 योजनाओं/कार्यक्रमों (₹ 4,167.01 करोड़) का 100 प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है, जिसका विवरण *i f'f'k"V 2.6* में दर्शाया गया है। इस प्रकार अत्यधिक धनराशियों के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि या तो बजट बनाने में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गम्भीर कमी हुई।

2.2.6 okLrfod cpr | s vf/kd vH; i l k

वर्ष 2017-18 में, नौ अनुदानों से सम्बन्धित 10 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 25,686.79 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 25,927.80 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 241.01 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जिसका विवरण *i f'f'k"V 2.7* में दर्शाया गया है। वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

/ Lrfr% सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाय।

2.2.7 vH; fi l u dh xbz i ldkluekfur cpr

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदानों/विनियोगों या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये। वर्ष 2017-18 के अन्त में, अनुदानों/विनियोगों के 81 प्रकरणों में ₹19,653.58 करोड़ की बचत होने के पश्चात् भी उसका कोई भी भाग व्यय करने वाले विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया *i f'f'k"V 2.8*।

इसी प्रकार, 120 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत की धनराशि ₹ 67,808.40 करोड़ में से ₹ 37,842.25 करोड़ (56 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गयी *i f'f'k"V 2.9*। यह अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन दर्शाता है।

2.2.8 0; ; dk xyr oxhldj . k

राजस्व व्यय स्वभावतः आवर्ती होता है और राजस्व प्राप्तियों से होना माना जाता है। अग्रेतर, भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई.जी.ए.एस-2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यद्यपि, वर्ष 2017-18 में, राज्य सरकार द्वारा 'लघु निर्माण कार्यों' पर ₹ 47.71 करोड़, 'वाणिज्यिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' हेतु धनराशि ₹ 1.41 करोड़, 'कम्प्यूटर के रख-रखाव, सम्बन्धित लेखन सामग्री का क्रय' के लिये धनराशि ₹ 0.16 करोड़ एवं 'पूंजीगत व्यय हेतु सहायता अनुदान' ₹ 0.40 करोड़ को पूंजीगत के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय के रूप में पुस्तांकित किया गया जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाना चाहिए। इससे राजस्व आधिक्य में ₹ 49.68 करोड़ की अतिशयता हुई।

दूसरी ओर, 'औषधालयों के आधारभूत संरचना' के लिये ₹ 64.37 करोड़ तथा 'स्टाफ कार के क्रय' हेतु ₹ 49.57 करोड़ का व्यय पूंजीगत के स्थान पर राजस्व व्यय में पुस्तांकित किया गया जिससे राजस्व आधिक्य में ₹ 113.94 करोड़ की न्यूनता हुई।

इस प्रकार, उपर्युक्त गलत वर्गीकरण से राज्य के राजस्व आधिक्य में ₹ 64.26 करोड़ की न्यूनता हुई।

2.2.9 *VkdfLedrk fuf/k | s vfxie & ifri frl ugh dh x; h*

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि, ₹ 600 करोड़ की कार्पस धनराशि के साथ रखी जाती है। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1962 के अनुसार, निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित तथा आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए लिया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक लम्बित रहती है।

31 मार्च 2018 तक आकस्मिकता निधि से ₹ 463.08 करोड़ की धनराशि आहरित की गयी जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी, जिसमें पूर्व वर्ष का ₹ 300 करोड़ का अवशेष प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 में ₹ 413 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया जिसमें से ₹ 125 करोड़ वर्ष 2017-18 में उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड को ऋण हेतु आहरित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति 2018-19 के अनुपूरक अनुदान से की जानी थी। वर्ष 2017-18 में आहरित अवशेष बकाया अग्रिम ₹ 288 करोड़ के सापेक्ष ₹ 249.92 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2018 तक की गयी।

अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा 2016-2017 के दौरान उ.प्र. जल निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा सेवानिवृत्तिक लाभ के भुगतान के लिए ₹ 300 करोड़ का आहरण किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुदान सं0 37— नगर विकास विभाग के अंतर्गत बजट प्रावधान द्वारा की जानी थी। 31 मार्च 2017 तक इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी जिसे वर्ष 2018 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1 में प्रतिवेदित किया गया था, तथापि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि में इस धनराशि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2018 तक नहीं की गयी थी।

/ १८८% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति समय से की जाय।

